13

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 65/2020 दायर दिनांक–15–06–2020

1 गोविन्द सिंह पुत्र भंवर सिह जाति राजपूत निवासी झाझड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)
2 जुगल सिंह पुत्र नरपत सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू (राज.)

– वादीगण

बनाम

1. भींवड़ा पुत्र दुल्ला जाति माली निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. श्योदान पुत्र दुल्ला जाति माली निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुंन्झुनू राजस्थान।
3. महेन्द्र सिह पुत्र नरपत सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. नवल सिंह पुत्र नरपत सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिए तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री किशोर कुमार जांगिड़**
वकील प्रति. नं. :– **एकपक्षीय**

दावा बाबत घोषणार्थ व
रिकार्ड दुरूस्ती

–:: निर्णय ::–

दिनांक–20–06–2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– राजस्व ग्राम झाझड़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1217 रकबा 2 बीघा 8 बिश्वा व पुराने खसरा नम्बर 1218 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा स्थित थी। उक्त भूमि के नए खसरा नम्बर 1706 रकबा 1.22 हैक्टर है। उक्त भूमि वाद–पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

वादग्रस्त भूमि पुराने खसरा नम्बर 1217 व 1218 वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 03 व 4 के पूर्वज श्री मसत सिह की खातेदारी की व स्वयं द्वारा काश्त किए जाने की भूमि थी। वाद पत्र में पैरा नम्बर 02 मे वंशावली दर्ज है।

उपरोक्त वादग्रस्त भूमि को पूर्व में वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 03 नम्बर 4 के पूर्वज मसत सिंह काश्त करते थे इसके पश्चात उनके पुत्र भंवर सिंह काश्त करते थे तथा उनके पश्चात वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 03 व 04 उपरोक्त भूमि को काश्त कर रहे है। अन्य किसी ने उपरोक्त भूमि को कभी भी काश्त नही किया है।

उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के खातेदारी रिकार्ड में सम्वत् 2014–2017 में खातेदारी खाने में मसत सिह वल्द रिध सिंह दर्ज है। खसरा नम्बर 1218 के कृषक विवरण में खुदकाश्त दर्ज है तथा 1217 के कृषक के रूप में श्योपाल व भींवड़ा पुत्र हुंचा दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2018–2021 में खसरा नम्बर 1218 के कृषक के विवरण में वादी नम्बर 1 के पिता में मसत सिंह का नाम दर्ज है तथा 1217 के कृषक के विवरण में उपकृषक के रूप में वादी नम्बर 1 के पिता भंवर सिह का नाम दर्ज हैं आगे कि जमाबंन्दियों खसरा नम्बर 1218 वादी नम्बर 01 के पिता के नाम खाते मे दर्ज कर दिया खसरा नम्बर 1217 को अलग खाते में श्योदान, भींवड़ा पुत्र दुला के नाम दर्ज कर गलत रिकार्ड बना दिया इसी प्रकार गलत रिकार्ड बनता गया व श्योदान ... खसरा नम्बर 1218 व 1217 का एक नया खसरा नम्बर 1706 बना दिया गया और उनकी खातेदारी ... श्योदान भींवडा पिता दुला जाति माली के नाम से दर्ज कर दी उपरोक्त श्योदान भींवडा पुत्र दुला ने कभी भी वादग्रस्त भूमि पर काश्त नही किया। गलत रूप से उपरोक्त प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम से वादग्रस्त भूमि का रिकार्ड दर्ज ... है।

वादग्रस्त भूमि हमेशा से वादीगण प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 के हक अधिकार व खातेदारी की भूमि रही है तथा हमेशा से काश्त करते है। वादग्रस्त भूमि से अन्य किसी व्यक्ति का कोई लेना देना ही नही रहा है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:27:20 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

ना ही वादग्रस्त भूमि को अन्य किसी ने कभी काश्त किया है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 कभी वादग्रस्त भूमि के आस पास ही नही रहे तथा ना ही कभी काश्त किया है। प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को वादीगण जानते तक नही है ना ही आस पास को कोई व्यक्ति जानता है। परन्तु गलत रूप से खातेदारीं रिकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का नाम दर्ज है। जिसको डिलीट किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1706 रकबा 1.22 हैक्टर की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 03 व 04 के नाम घोषित किए जाने हेतु वाद पेश किया।

वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा वादी नम्बर 1 का व 1/2 हिस्सा वादी नम्बर 2 व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 का है इसी अनुसार कब्जा काश्त हक अधिकार है। वादग्रसत भूमि में 1/2 हिस्से का वादी नम्बर 1 को व 1/2 हिस्सा का वादी नम्बर 2 व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 को खातेदर काश्तकार घोषित किये जाने हेतु वाद पेश किया गया है।

वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड बाबत पूर्व में कभी भी वादीगण को जानकारी नही थी। वादी को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने की कभी आवश्यकता नही नही हुई अब दिनांक 08.6.2020 को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर वादीगण को गलत रिकार्ड की जानकारी हुई जिसके पश्चात उक्त वादी पेश किया गया हैं। उक्त वाद हेतु वादकारण वादीगण व प्रतिवादी नबर 3 व 4 की हक अधिकारों व कब्जे काश्त की जमीन का रिकार्ड वादीगण के नाम दर्ज नही होने की जानकारी दिनांक 08.06.2020 को होने के रोज माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र में अनुतोष चाहा है कि वाद बहक वादीगण डिक्री फरमाया जाकर ग्राम झाझड में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1706 रकबा 1.22 हैक्टर के खातेदारी में प्रतिवादी नम्बर 1 व 02 का नाम डिलीट किया जाकर 1/2 हिस्से का वादी नम्बर 01 को व 1/2 हिस्से का वादी नम्बर 02 व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इन्द्राज दुरूस्ती हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जावे। अन्य कोई सिद्धी जो चाही जाने से रह गई हो तथा वादीगण के पक्ष में पडती हो वह भी दिलवाई जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 05 बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने से इनके विरूद्ध दिनांक 22.03.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई गई जो प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 एक माह की अवधि में इनके ओर से कोई भी उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने से इनके विरूद्ध दिनांक 26.04.2022 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगणों की विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने से प्रकरण में तनकी कायम नही की गई। शहादत ली गई। शहादत वादी में जुगल सिंह पुत्र नरपत सिह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ उपस्थित हो अपने मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किया। वादीगण ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेजात प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2014–2017 प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत् 2018–2021, प्रदर्श–3 जमाबंदी सम्वत् 2026–2029, प्रदर्श–4 जमाबंदी सम्वत् 2030–2033, प्रदर्श–5 जमाबंदी सम्वत् 2030–2033, प्रदर्श–6 मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श–7 जमाबंदी सम्वत् 2043–2046, प्रदर्श–8 जमाबंदी सम्वत 2047–2050, प्रदर्श–9 जमाबंदी सम्वत 2051–2054, प्रदर्श–10 जमाबंदी सम्वत 2055–2059, प्रदर्श–11 जमाबंदी सम्वत 2059–2062, प्रदर्श–12 जमाबंदी सम्वत 2063–2066, प्रदर्श–13 जमाबंदी सम्वत 2075–2078 प्रदर्शित करवाये।

प्रकरण में प्रतिवादीगणों की एकपक्षीय कार्यवाही होने से शहादत प्रतिवादी नही ली गई।

शहादत पेश होने पर बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनः दोहराया। बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली का एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि को पूर्व में वादीगण व प्रतिवादी 03 नम्बर 4 के पूर्वज मसत सिंह काश्त करते थे इसके पश्चात उनके पुत्र भंवर सिंह काश्त करते थे तथा उनके पश्चात वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 03 व 04 उपरोक्त भूमि को कास्त कर रहे है। वादग्रस्त भूमि के खातेदारी रिकार्ड में सम्वत् 2014–2017 जो प्रदर्श–1 में खातेदारी खाने में मसत सिह वल्द रिध सिंह दर्ज है। खसरा नम्बर 1218 के कृषक विवरण में

ए सी ई एम. (न्या. दे.)
नवलगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:27:20 IST
Reason: SelfAttested

खुदकाश्त दर्ज है तथा 1217 के कृषक के रूप में श्योपाल व भींवड़ा पुत्र हुंचा दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2018–2021 जो प्रदर्श–2 में खसरा नम्बर 1218 के कृषक के विवरण में मसत सिंह का नाम दर्ज है तथा 1217 के कृषक के विवरण में उपकृषक के रूप में वादी नम्बर 1 के पिता भंवर सिंह का नाम दर्ज हैं आगे कि जमाबंन्दियों खसरा नम्बर 1218 वादी नम्बर 01 के पिता के नाम खाते मे दर्ज कर दिया खसरा नम्बर 1217 को अलग खाते में श्योदान, भींवडा पुत्रान दुला के नाम दर्ज कर गलत रिकार्ड बना दिया। इसी प्रकार गलत रिकार्ड बनता गया व सेटलमेंट के समय खसरा नम्बर 1218 व 1217 का एक नया खसरा नम्बर 1706 बना दिया गया जो प्रदर्श–6 से प्रमाणित। वादग्रस्त भूमि की खातेदारी गलत रूप से श्योदान, भींवडा पिता दुला जाति माली के नाम से दर्ज कर दी उपरोक्त श्योदान भींवडा पुत्र दुला ने कभी भी वादग्रस्त भूमि को काश्त नही किया। गलत रूप से उपरोक्त प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के नाम से वादग्रस्त भूमि का रिकार्ड दर्ज हुआ है, जो भू–प्रबन्ध अधिकारियो द्वारा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश किया गया है जो विधि विरूद्ध है।

गलत रूप से खातेदार में रिकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर विादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1706 रकबा 1.22 हैक्टर की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 03 व 04 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है। वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा वादी नम्बर 1 का व 1/2 हिस्सा वादी नम्बर 2 व प्रतिवादी नमबर 3 व 4 का है इसी अनुसार कब्जा काश्त हक अधिकार है। वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से का वादी नम्बर 1 को व 1/2 हिस्सा का वादी नम्बर 2 व प्रतिवादी नम्बर 3 व 4 को खातेदर काश्तकार घोषित किया जाना उचित व न्यायोचित है। वादी ने अपने वाद पत्र को पूर्णतया दस्तावेजी साक्ष्य से साबित पाया जाता है। फलस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना अनुसार वाद वादी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित पाये जाने पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम झाझड़ स्थित खसरा नम्बर 1706 रकबा 1.22 हैक्टर में वादी संख्या 01 को 1/2 हिस्से का, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा उक्त खसरा नम्बर 1706 रकबा 1.22 में दर्ज खातेदार प्रतिवादी नम्बर 1 व 02 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक **20.06.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:27:20 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) नवलगढ़

दावा बाबत घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा संः– 65/2020 **(गोविन्द सिंह आदि बनाम भींवड़ा आदि)**

पर्चा–डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 20.06.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम झाझड़ स्थित खसरा नम्बर 1706 रकबा 1.22 हैक्टर में वादी संख्या 01 को 1/2 हिस्से का, वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 03 व 04 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा उक्त खसरा नम्बर 1706 रकबा 1.22 में दर्ज खातेदार प्रतिवादी नम्बर 1 व 02 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 20.06.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.इम.(फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	08.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	14.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 16:27:20 IST
Reason: SelfAttested